



प्रेस नोट

दिनांक-21-07-2022

जनपद अम्बेडकरनगर थाना भीटी पुलिस टीम द्वारा दो शातिर गौतस्करों/अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से एक अदद ट्रक व 21 अदद गोवंशीय पशुओं को बरामद किया गया।

दिनांक 20.07.22 को सुबह में मुखबिर द्वारा सूचना दी गई की एक गैंग अवैध पशुओं को लेकर खजूरी बाजार व महरुआ होते हुए आजमगढ़ व बिहार जाने वाला है इस सूचना पर भीटी पुलिस टीम द्वारा खजूरी बाजार में जोनल चेकिंग की जा रही थी कि एक 10 चक्का ट्रक आ रहा था जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया कि सामने पुलिस को चेक करता हुआ देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया है जिससे पुलिस टीम के कर्मचारी बाल-बाल बचे सामने खड़ी सरकारी वाहन में जोरदार टक्कर मारकर सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त कर दिया जिसमें ड्राइवर द्वारा कूदकर जान बचाई गई। ना भाग पाने की स्थिति में अभियुक्तगण गाड़ी से कूदकर अंधेरे का लाभ लेकर भागने लगे जिसको पुलिस टीम द्वारा दौड़ाकर दो व्यक्तियों को पकड़ा लिया गया तथा उक्त ट्रक नंबर UP50BT5100 से कुल 21 अदद गोवंशीय पशुओं को बरामद किया गया।

पकड़े गए पशुओं को चिकित्सालय के माध्यम से इलाज कराकर गौशाला में भिजवाया गया मौके पर बरामद 21 पशुओं में से 6 मृत पाए गए तथा कई मरणासन्न स्थिति में है जिन का इलाज किया जा रहा है उक्त पशुओं को इन तस्करों द्वारा बुरी तरीके से चारों पैरों व सींग को एक साथ बांधकर रखा गया था जिससे उनकी दशा काफी खराब हो गई थी उक्त पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 113/22 धारा 307/427 आईपीसी व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम का थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ- घटना के विषय में पूछने पर अभियुक्तो ने बताया कि उसका गैंग लीडर आजमगढ़ का रहने वाला है जो इधर उधर घूमने वाले पशुओं को चोरी-छिपे बांधकर अपने ट्रक में लाद लेते हैं तथा जिन्हें बिहार के सिवान जिले में ले जाकर एक ग्राहक को यथा उचित कीमत पर बेच दिया करते हैं कभी-कभी उक्त पशुओं में से कुछ पशुओं को आजमगढ़ में काटकर उचित कीमत पर अलग-अलग लोगों को चोरी-छिपे बेच देते हैं।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1-शाह आलम पुत्र सबरे आलम नि0 पीठापुर (खजूरी) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
- 2-संजय गौमत उर्फ राजीव पुत्र मोहित गौतम नि0 माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

विवरण बरामदगी:- 21 अवैध पशु मय ट्रक

विवरण पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 113/22 धारा 307/427 आईपीसी व धारा 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम:-

- 1-- प्र0नि0 विजेन्द्र प्रसाद शर्मा मय फोर्स